

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतीनी अथवा जमाबंदी
 प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)
 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

शामल:सिनावल			पटवारी हल्का:सिनावल			तहसील: वडौनी			जिला:दतिया			वर्ष: 2022-2023		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारी) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारी) का आठुई क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में पत्त्येक खातेदार का उनके नाम सहित आठुई क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ इसके संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन एट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक व्याज (मुख्य पदश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अध्य तब कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि (रुपयों में)	देख राशि (रुपयों में)	अभि युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	अनित पुत्र गुलशन राय जाति जैन पता दतिया मध्य प्रदेश 32/153 भाग भूमि स्वामी		317 (S) 1.5300 हेक्टेयर	कृषि	20.81	20.81	कुल भू-राजस्व	0.00						
	जयदेवी बेवा शालिग्राम जाति ब्राह्मण पता सिनावल वडौनी दतिया मध्य प्रदेश 23/153 भाग भूमि स्वामी						पंचायत उपकर	0.00						
	शेतेन्द्र पुत्र शालिग्राम जाति ब्राह्मण पता सिनावल वडौनी दतिया मध्य प्रदेश 22/153 भाग भूमि स्वामी						शाला उपकर	0.00						
	सीमा पुत्री शालिग्राम जाति ब्राह्मण पता सिनावल वडौनी दतिया मध्य प्रदेश 22/153 भाग भूमि स्वामी		कुल क्षेत्र. 1.5300 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 20.81		वाणिज्य कर	0.00						
	भावना पुत्री शालिग्राम जाति ब्राह्मण पता सिनावल वडौनी दतिया मध्य प्रदेश 22/153 भाग भूमि स्वामी						प्रोमियम	0.00						
	विष्णुगोपाल पुत्र केदारनाथ गोयल पता दतिया मध्य प्रदेश 32/153 भाग भूमि स्वामी						शास्ति	0.00						
							योग	0.00						

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रतिष्ठियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।